कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर
1133, साउथ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर
<u>अल्प कालीन निविदा सूचना</u>

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना तृतीय चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए सील बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा–प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय से दिनांक 19–7–2011 से 21–7–2011तक प्रत्येक कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदायें दिनांक 22–7–11 को अपराह्न 3.30 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जायेंगी और उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित फर्मो/ठेकेदारों के समक्ष विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर कार्यालय में खोली जायेंगी।

क्रम सं0	कार्य का नाम)	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर राशि (रू0 में)	निविदा मूल्य (रू0में)	कार्य की अवधि
1	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खान्जहॉपुर में 84 तीन मंजिले आवासीय भवनों का निर्माण एवं सीवर लाईन कार्य	178.95	3,58,000.00	5000/– +4%वेट	06 माह
2	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खान्जहॉपुर में 84 तीन मंजिले आवासीय भवनों का निर्माण एवं पार्क कार्य	182.05	3,65,000.00	5000/– +4%वेट	06 माह
3	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खान्जहॉपुर में 84 तीन मंजिले आवासीय भवनों का निर्माण एवं ड्रेन कार्य	186.94	3,74,000.00	5000/– +4%वेट	06 माह
4	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खान्जहॉपुर में 84 तीन मंजिले आवासीय भवनों का निर्माण एवं वाटर लाईन कार्य।	174.13	3,49,000.00	5000/– +4%वेट	06माह
5	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खान्जहॉपुर में 84 तीन मंजिले आवासीय भवनों का निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल कार्य	189.98	3,80,000.00	5000/– +4%वेट	06 माह
6	मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खान्जहॉपुर में 80 तीन मंजिले आवासीय भवनों का निर्माण एवं सडक निर्माण कार्य	214.07	4,29,000.00	5000/– +4%वेट	06 माह

<u>नियम एंव शर्तें निम्न प्रकार हैः–</u>

1. निविदा–प्रपत्र सरकारी/अर्द्वसरकारी विभागों में "ए" श्रेणी में भवन निर्माण में पंजीकृत फमो /ठेकेदारों को विक्रय की जायेगी ।
2. निविदा प्रपत्र विकास प्राधिकरण में भवन निर्माण में पंजीकृत ठेकेदारों को वरीयता दी जायेगीजिनके द्वारा पूर्व में मा0 श्री कां शीराम जी शहरी गरीब आवास योजना का सन्तोषजनक रूप से कार्य किया गया हो।
3. निविदा क्रय करने से पूर्व निविदादाता के द्वारा कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत धनराशि अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकण के पक्ष में बन्धक हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी,जो कि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में हो ।
4. निविदा शुल्क पर 4 प्रतिशत वैट अलग से देय होगा।
5. अपूर्ण तथा सशर्त निविदायें अस्वीकार कर दी जायेगी।
6. निविदादाता स्वयं स्थल देख लें और सही स्थिति से सन्तुष्ट होने के बाद ही निविदा में दरेंअंकित करें।

7. कार्यस्थल पर दोषपूर्ण सामग्रियों की आपूर्तियों के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करों की कटौती नियमानुसार चलित देयकों से की जायेंगी।

9. अपूर्ण तथा सशर्त निविदायें अस्वीकार कर दी जायेगी।

10. निविदादाता स्वयं स्थल देख लें और सही स्थिति से सन्तुष्ट होने के बाद ही निविदा में दरें अंकित करें।

11. कार्यस्थल पर दोषपूर्ण सामग्रियों की आपूर्तियों के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12. शासन द्वारा समय–समय पर आयकर, व्यापार–कर, श्रमिक कर व समय–समय पर लागू अन्य करों की कटौती निर्धारित दरों पर ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।

13. निविदा के साथ रू0 100/– का एक सामान्य स्टाम्प पेपर जिस पर 1 रूपये का रसीदी टिकट लगा हो, संलग्न करना होगा।

14. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित है जिसको किसी मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

15. यह सूचना मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की वेब साईट www. mdamzn.com पर भीदेखी जा सकती है।

16. न्यूनतम निविदादाता को निविदा स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर अनुबंध की समस्तऔपचारिकताऐं पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

17. सफल निविदादाता को उपरोक्त कार्य हेतू प्राधिकरण में पंजीकरण होना अनिवार्य नही है,परन्तु प्राधिकरण में अपंजीकृत ठेकेदारों के सफल निविदादाता होने उपरान्त प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

18. निविदा को घटाने बढ़ाने तथा कार्य को एक से अधिक निविदादाताओं में विभाजित करने का अधिकार उपाध्यक्ष,मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,मु0नगर के पास सुरक्षित है ।

19. कार्य प्रारूप एवं शर्तें विषयक अधिक जानकारी के लिए अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण मु0नगर से सम्पर्क कर ज्ञात किया जा सकता है।

अधिशासी अभियन्ता
विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर